बस्तर में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट

टीमः

प्रकाश दुबे, महासचिव
सीमा चिश्ती, कार्यकारी समिति सदस्य
विनोद वर्मा, कार्यकारी समिति सदस्य

यात्रा का स्थानः जगदलपुर, बस्तर और रायपुर

यात्रा की अवधिः 13 से 15 मार्च, 2016

संदर्भ बिंदुः

निम्न का आकलन और परीक्षणः

- छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की गिरफ्तारी की हालिया रिपोर्टें
- राज्य में पत्रकारों के समक्ष खतरे और चुनौतियां
- पत्रकारिता के पेशे के समक्ष चुनौतियां

सारः

छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर मंडल काफी तेजी से संघर्षों के क्षेत्र में बदलता जा रहा है। यहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच लगातार जंग जारी है। इन दोनों के बीच पत्रकार फंसे हुए हैं और उन पर सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही ताकतों का हमला हो रहा है।

पिछले कुछ महीनों के दौरान पत्रकारों पर हमले की कई घटनाएं खबरों में आई हैं। खबरों के अनुसार कम से कम दो ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया है और अन्य ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें इस कदर धमकाया गया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बस्तर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। सूचना के अनुसार कम से कम एक पत्रकार के आवास पर भी हमला हुआ है।

इन खबरों की पड़ताल करने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने तीन सदस्यों की एक तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया। चूंकि सीमा चिश्ती यात्रा करने में असमर्थ थीं, इसलिए प्रकाश दुबे और विनोद वर्मा ने 13, 14 और 15 मार्च, 2016 को रायपुर/जगदलपुर का दौरा किया।

तथ्यान्वेषी कमेटी के सदस्यों ने जगदलपुर में कई पत्रकारों और सरकारी अफसरों से मुलाकात की। रायपुर में इस टीम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और राज्य के सभी शीर्ष अधिकारियों समेत कई संपादकों और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात की।

टीम ने पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम और आलोक पुतुल के बयानात दर्ज किए। टीम ने केंद्रीय कारागार का दौरा कर के वहां बंद पत्रकार संतोष यादव से भी मुलाकात की।

तथ्यान्वेषी दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पत्रकारों को खतरे संबंधी मीडिया में आई खबरें सच हैं। छत्तीसगढ़ में मीडिया जबरदस्त दबाव में काम कर रहा है। जगदलपुर और सुदूर आदिवासी अंचलों में पत्रकारों को खबरें जुटाने और प्रसारित करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पत्रकारों पर जिला प्रशासन, खासकर पुलिस का दबाव है कि उनके मुताबिक खबर लिखें और ऐसी खबरें न छापें जिसे प्रशासन अपने खिलाफ मानता है। इलाके में काम कर रहे पत्रकारों पर माओवादियों का भी दबाव है। मोटे तौर पर यह धारणा है कि प्रत्येक पत्रकार पर सरकार निगरानी रखे हुए है और उनकी सभी गतिविधियों की जासूसी की जा रही है। वे फोन पर कुछ भी बात करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हीं के मुताबिक ''पुलिस हमारा एक-एक शब्द सुनती है।''

कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि एक विवादास्पद नागरिक समूह सामाजिक एकता मंच बस्तर में पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तपोषित और संचालित किया जाता है। उनके मुताबिक यह समूह सलवा जुडुम का ही एक अवतार है।

पत्रकारों को चुनौतियां : कुछ मामले

छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में अखबारों के लिए लिखने की चुनौती कोई नई नहीं है। एक पत्रकार प्रेमराज जो कांकेर में दैनिक देशबंधु के प्रतिनिधि थे, उन पर 1991-92 में आतंक निरोधी कानून टाडा लगाया गया था जब अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में बीजेपी की सरकार थी। उन पर माओवादियों के निकट होने का आरोप था। बाद में उन्हें साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

दिसंबर 2013 में एक ग्रामीण पत्रकार साई रेड्डी की बीजापुर के करीब एक गांव में माओवादी विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार माओवादियों के एक समूह ने बाजार के पास उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया और उसके बाद वे मौका-ए-वारदात से भाग गए।

बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस. करीमुद्दीन ने तथ्यान्वेषी दल को बताया कि 2008 में साई रेड्डी को पुलिस ने विवादास्पद कानून छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। उन पर माओवादियों से संपर्क में होने का आरोप था। दूसरी ओर माओवादी उन्हें सुरक्षा बलों का वफादार मानते थे जिन्होंने बाद में उनके घर में आग लगा दी और उन्हें मार डाला।

फरवरी 2013 में एक और ग्रामीण पत्रकार नेमिचंद जैन को भी सुकमा में माओवादियों ने मार डाला था। उन्हें शक था कि वे सुरक्षा बलों के खबरी का काम करते हैं। उनकी हत्या के 45 दिन बाद माओवादियों ने इस कृत्य के लिए माफी मांगी थी।

पिछले साल 2015 में पुलिस ने उसी विवादास्पद कानून के अंतर्गत दो और पत्रकारों को माओवादियों से कथित संपर्क के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से एक संतोष यादव को सितंबर में गिरफ्तार किया गया। वे रायपुर के दो अखबारों नवभारत और दैनिक छत्तीसगढ़ में स्ट्रिंगर थे। दोनों अखबारों के संपादकों ने माना है कि वे उनके यहां काम करते थे। तथ्यान्वेषी दल ने जगदलपुर के केंद्रीय कारागार में संतोष यादव से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दोनों ही पक्ष यह समझते हैं कि वे दूसरे पक्ष के करीबी हैं।

एक और पत्रकार सोमारू नाग को जुलाई 2015 में गिरफ्तार किया गया था। वे भी स्ट्रिंगर थे और रायपुर से निकलने वाले एक अखबार के समाचार प्रतिनिधि थे, लेकिन उक्त अखबार ने कभी नहीं माना कि वे उनके कर्मचारी थे।

दोनों ही मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और मामला अदालत में लंबित है।

बीती 8 फरवरी, 2016 को मालिनी सुब्रमण्यम के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। वे स्क्रोल डॉट इन के लिए खबरें लिखती हैं और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ दि रेड क्रॉस (आइसीआरसी) की पूर्व प्रमुख हैं। जैसा कि मालिनी ने तथ्यान्वेषी दल को बताया, उनके घर पर सुबह के वक्त हमला हुआ। मालिनी ने पाया कि उनके जगदलपुर आवास के बाहर पत्थर बिखरे हुए थे और उनकी गाड़ी की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। उनके मुताबिक हमले से पहले करीब 20 लोग उनके घर के बाहर जमा हुए और नारे लगाने लगे- ‘‘नक्सल समर्थक बस्तर छोड़ो’’,

''मालिनी सुब्रमण्यम मुर्दाबाद''। उन्हें शक है कि हमले में भी यही लोग शामिल रहे होंगे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ''उनका लिखा एकतरफा होता है और वे हमेशा माओवादियों से सहानुभूति जताती हैं।'' यही आरेप सामाजिक एकता मंच ने भी लगाया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मंच को चलाने वाले वे लोग हैं जो माओवादियों के विरोधी हैं हालांकि जगदलपुर और रायपुर के पत्रकारों का कहना था कि मंच को पुलिस सहयोग और पैसा देती है। इनमें से कुछ ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक श्री एसआरपी कल्लूरी इस मामले में सीधे लिप्त हैं। हालिया मामला बीबीसी के पत्रकार आलोक पुतुल ने रिपोर्ट किया था जिन्हें धमकी मिलने के बाद बस्तर छोड़कर जाना पड़ा था। तथ्यान्वेषी दल द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान के मुताबिक उन्हें मिली धमकियों से पहले आलोक को आइजी और एसपी के संदेश प्राप्त हुए जिन्होंने उनसे मिलने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे ''राष्ट्रवादी और देशभक्त पत्रकारों'' से बात करना पसंद करते हैं।

डर के कारण

टीम को एक भी ऐसा पत्रकार नहीं मिला जो पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर सके कि वह बिना भय या दबाव के काम कर रहा है। बस्तर और रायपुर दोनों ही जगह तैनात पत्रकारों ने दोनों पक्षों की ओर से दबाव का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच काम करना पड़ रहा है और दोनों ही पक्ष पत्रकारों पर बिलकुल भरोसा नहीं करते।

इन सभी ने शिकायत की कि प्रशासन इनके फोन टैप करता है और इन लोगों पर अघोषित निगरानी रखी जाती है। सरकारी अफसरों ने सीधे तौर पर इन आरोपों का खंडन किया। प्रधान सचिव (गृह) बीवीके सुब्रमण्यम ने कहा, ''जासूसी के लिए हर एक अनुरोध को मैं ही मंजूरी देता हूं और मैं पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकारी विभाग को एक भी पत्रकार की फोन कॉल टैप करने की अनुमति नहीं दी गई है।''

बस्तर में तैनात पत्रकारों ने बताया कि वे खबर लिखने के लिए संघर्ष के क्षेत्र में यात्रा करने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि वे जमीनी खबरें नहीं लिख सकते। यह बात अलग है कि बस्तर के कलक्टर अमित कटारिया ने तथ्यान्वेषी दल को बताया कि पूरा बस्तर हर किसी के लिए खुला है जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं।

बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष करीमुद्दीन ने बताया, ''मैं जगदलपुर से बाहर की किसी भी जगह बीते छह साल से नहीं गया हूं क्योंकि मुझे सच लिखने की मनाही है और आप जो देखते हैं अगर उसे लिख नहीं सकते, तो फिर बाहर जाकर सूचना जुटाने का कोई मतलब नहीं बनता।'' वे पिछले तीन दशक से ज्यादा वक्त से यूएनआइ के बस्तर प्रतिनिधि हैं।

ऐसा ही दावा एक स्थानीय अखबार के संपादक दिलशाद नियाज़ी ने भी किया जिन्होंने बताया कि वे डर के मारे पिछले आठ साल से पड़ोसी जिले बीजापुर नहीं गए हैं। इस इलाके में ंखूब यात्राएं कर चुके एक स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कश्यप का कहना है कि वे बस्तर से अपने शरीर जितना परिचित हैं लेकिन अब पत्रकारों ने यात्रा करनी बंद कर दी है। उन्होंने बताया, ''पुलिस और माओवादी दोनों के भय से आज सारे पत्रकार जंगलों के भीतर जाना बंद कर चुके हैं। अब हम माओवादी संगठन से ही कह देते हैं कि वे प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें भेज दें। ये प्राप्त होते ही हम जस का तस इन्हें छाप देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी लिखी हर पंक्ति की व्याख्या उनके सामने हमें करनी पड़े। इसी तरह पुलिस भी हमसे उम्मीद करती है कि हम उसका संस्करण जस का तस छाप दें, लिहाजा अधिकतर पत्रकार बिना कोई सवाल पूछे उनकी दी हुई प्रेस विज्ञप्ति छाप देते हैं।''

मालिनी सुब्रमण्यम ने बताया कि यदि कोई पत्रकार सूचना जुटाने के लिए बाहर जाने की हिम्मत भी कर लें, तो माना जाता है कि उसे लोगों से बात नहीं करनी है। उन्होंने बताया, ''पुलिस अधिकारी पत्रकारों से यह उम्मीद करते हैं कि उनकी कही बात का भरोसा कर के वे छाप दें। अगर कोई पत्रकार तथ्यों को जुटाने के लिए थोड़ी भी अतिरिक्त मेहनत करने की मंशा रखता हो, तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। एक आत्मसमर्पण के मामले में मैंने जब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो पहले मुझसे पूछा गया कि मैं उन लोगों के नाम बताऊं जिनसे मैं बात करना चाहती हूं और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि मुझसे क्या बोलना है।''

तथ्यान्वेषी दल ने पाया कि यह भय केवल आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जगदलपुर से 280 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर में भी यही हाल है। रायपुर में काम करने वाले सभी संवाददाताओं ने कहा कि उनके फोन टैप होते हैं। कुछ ने तो इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ घटनाएं भी बताईं। एक काफी वरिष्ठ पत्रकार जिनके बारे में माना जाता है कि रमन सिंह सरकार से उनके मधुर रिश्ते हैं, उन्होंने बताया, ''किसी को बख्शा नहीं जाता, मुझे भी नहीं। वे लोग मेरे फोन को भी टैप करते हैं।'' सरकारी अफसरों ने इस आरोप का खंडन किया और

दावा किया कि एक भी पत्रकार पर निगरानी नहीं रखी जा रही है। उनके मुताबिक यह धारणा का मामला है और इसे दुरुस्त करने की वे कोशिश करेंगे।

एक पुराने और प्रतिष्ठित अखबार के मुख्य संपादक ललित सुरजन ने बताया कि पत्रकारों के लिए अपना काम करना अब बेहद कठिन हो चला है। टीम के साथ मुलाकात में उन्होंने बताया, ''आप यदि किसी चीज का स्वतंत्र विश्लेषण करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे आपकी मंशा पर ही सवाल खड़ा कर देंगे और सीधे यह सवाल पूछ देंगे कि 'आप सरकार के साथ हैं या माओवादियों के?'' उन्होंने स्वीकार किया कि यह समस्या केवल सरकार के साथ ही नहीं है, माओवादियों के साथ भी है। उन्होंने कहा, ''दोनों को लगता है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं, वह गलत है।''

सुरजन ने कहा कि बस्तर जैसे इलाकों में काम करना लगातार दूभर होता जा रहा है क्योंकि पत्रकार माओवादियों से मिलने से नहीं बच सकते जबकि सरकार उन्हें संदेह का मामूली लाभ तक देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, ''सरकार को लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और पत्रकारों को संदेह का लाभ देना चाहिए।'' उन्होंने संतोष यादव और सोमारू नाग की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और एक अच्छे रिपोर्टर के तौर पर साई रेड्डी को याद किया, जिन्हें नक्सलियों ने मार दिया था।

पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां

बस्तर में काम कर रहा एक पत्रकार पत्रकारिता के बारे में सवाल करने पर उम्मीद करेगा कि उससे सीधे पूछा जाए, ''किस पक्ष की पत्रकारिता?'' जैसा कि स्थानीय पत्रकार कहते हैं, बस्तर में पत्रकारों की तीन श्रेणियां हैं- सरकार समर्थक, सरकार के कम समर्थक और माओवादी समर्थक या उनसे सहानुभूति रखने वाले पत्रकार।

जांच दल ने पाया कि अकेले जगदलपुर में करीब 125 पत्रकार तैनात हैं। इन्हें चार श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः

पेशे से पत्रकारः इस श्रेणी में कुछ ही लोग हैं। ये पत्रकार आम तौर पर रायपुर से निकलने वाले अखबारों के प्रतिनिधि हैं। कुछ अखबारों के बस्तर संस्करण भी निकलते हैं, इसलिए इन संस्करणों के प्रभारियों को भी इस श्रेणी में गिना जा सकता है। इस श्रेणी के पत्रकार अखबार या समाचार एजेंसी में वैतनिक कर्मचारी होते हैं।

अंशकालिक पत्रकारः इस श्रेणी में जगदलपुर (या फिर बस्तर के अन्य जिलों) के दर्जनों पत्रकार आते हैं। इनका असली पेशा पत्रकारिता नहीं है। इन्हें सरकारी ठेके चाहिए होते हैं, ये बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, इनके होटल हो सकते हैं या फिर ये किसी एनजीओ के निदेशक भी हो सकते हैं। अपनी कारोबारी रुचियों के अतिरिक्त वे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक और प्रकाशक बने हुए हैं अथवा किसी अज्ञात या कम ज्ञात प्रकाशन के संवाददाता के तौश्र पर काम कर रहे हैं। इनका मुख्य काम पत्रकारिता नहीं है। इस श्रेणी के कथित पत्रकारों को अपने प्रकाशन से मिलने वाले वेतन से कोई मतलब नहीं होता, वे अपने प्रकाशन के वितरण आदि की कोई परवाह नहीं करते और उसकी प्रतिष्ठा की चिंता तो इनको बिलकुल नहीं होती है। इनके पास पैसा कहीं और से आता है। तथ्यान्वेषी दल को बताया गया कि इनमें से कई लोग अपने पत्रकारीय प्रभाव का इस्तेमाल कर के सरकारी ठेके, विज्ञापन, कारोबार आदि हासिल करते हैं और कभी-कभार तो सरकारी अफसरों और कारोबारियों से वसूली भी करते हैं। ज्यादातर मौकों पर वे जाहिर तौर से सरकार के समर्थन में रहते हैं और रायुपर में रहने वाले बड़े पत्रकार इन्हें 'सरकारी पेरोल पर काम करने वाले पत्रकार' का नाम देते हैं। बस्तर में चूंकि भ्रष्टाचार भयंकर रूप से व्याप्त है, तो इन्हें किसी खबर को छापने के लिए नहीं बल्कि नहीं छापने के लिए पैसे मिल रहे हैं। बस्तर जैसे संघर्ष के क्षेत्र में ऐसे लोग स्थानीय पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पसंदीदा होते हैं।

स्ट्रिंगर और समाचार एजेंटः ये लोग बस्तर में पत्रकारिता की रीढ़ हैं। संघर्ष-क्षेत्र के सुदूर इलाकों में तैनात इन लोगों को स्ट्रिंगर, न्यूजएजेंट और यहां तक कि हॉकर भी कहा जाता है। ये लोग खबरें जुटाकर या तो जगदलपुर ब्यूरो में या फिर सीधे मुख्यालय में भेजते हैं। इन्हें अपने अखबार से न तो कोई औपचारिक नियुक्ति पत्र मिलता है और न ही काम के बदले कोई पारिश्रमिक मिलता है। इन्हें केवल प्रतिनिधित्व के नाम पर अखबार या एजेंसी से एक पत्र दे दिया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि इन्हें प्रकाशन के लिए खबरें और विज्ञापन जुटाने का अधिकार है। कुछ के पास प्रेस कार्ड भी हो सकता है लेकिन शायद ही कभी संस्था को इसके नवीनीकरण की चिंता होती है। तथ्यान्वेषी दल इस बात से हैरत में था कि सुदूर क्षेत्रों में मौजूद कई पत्रकारों के पास कुछ राष्ट्रीय टीवी चैनलों के प्रेस कार्ड मौजूद थे। इनके पास पैसा या तो विज्ञापन के कमीशन के रूप में आता है या फिर किसी और धंधे से, जिसमें वे जुड़े होते हैं। अगर कभी इनका भेजा फुटेज प्रसारित हो गया तो टीवी चैनल इन्हें कुछ पारिश्रमिक दे देते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है और भुगतान भी काफी कम होता है।

अतिथि पत्रकारः ये पत्रकार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि होते हैं। ये या तो रायपुर से आते हैं जहां वे तैनात होते हैं या फिर सीधे दिल्ली अथवा मुंबई के मुख्यालय से आते

हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इनसे बहुत चिढ़ता है क्योंकि वे बहुत सवाल पूछते हैं, तथ्यों को जानने पर जोर देते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने की कोशिश करते हैं। इन्हें सामान्य तौर पर माओवादियों से सहानुभूति रखने वाला या माओवादी समर्थक माना जाता है। जैसा कि रायपुर के एक वरिष्ठ संपादक कहते हैं, ''इनकी रिपोर्टें माओवादी समर्थक इसलिए लगती हैं क्योंकि वे भीतर जाकर लोगों से बात करते हैं और लोगों की कही कोई भी बात जाहिर तौर से सरकारी संस्करण का खंडन करती है और इसीलिए इनकी लिखी खबरों को माओवादी समर्थक या सरकार विरोधी मान लिया जाता है।'' इस श्रेणी के पत्रकारों की दिक्कत यह है कि वे लंबे समय तक बस्तर में नहीं ठहर सकते इसलिए इनकी रिपोर्ट बहुत टिकती नहीं है। दूसरे, वे खास काम लेकर आए होते हैं और कुल मिलाकर एक स्टोरी की तलाश में रहते हैं। तीसरे, वे बस्तर के अधिकतर इलाकों में नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें अधिकतर आदिवासी इलाकों में यह कहकर नहीं जाने दिया जाता कि वे ''सुरक्षित'' नहीं हैं। चैथी बात, इन्हें स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान नहीं होता और इसीलिए वे दुभाषिए की बताई बात पर आश्रित होते हैं। यह दुभाषिया ऊपर बताई गई दूसरे नंबर की श्रेणी का कोई स्थानीय पत्रकार हो सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे स्क्रोल डॉट इन की प्रतिनिधि मालिनी सुब्रमण्यम जो खुद जगदलपुर में ही रहती हैं और खबरें जुटाने के लिए सुदूर इलाकों में जाती रही हैं, लेकिन वे भी वहां जाहिर कारणों से लंबे समय तक ठहरने में सक्षम नहीं हैं।

भाषा और सामाजिक तबका

कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जो आदिवासियों की भाषा/बोली को समझ सकते हैं, चाहे वह गोंडी हो, हलबी या कोई और बोली। एक पत्रकार भी ऐसा नहीं है जो खुद आदिवासियों के बीच से आता हो। अधिकतर पत्रकार दूसरे तबके के होते हैं और कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। इनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, हिंदी, बांग्ला आदि कुछ भी हो सकती है लेकिन वह नहीं जिसमें स्थानीय ग्रामीण बात करता है। यहां भाषा एक बड़ी बाधा है।

दुर्गम इलाका

संघर्ष क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अबूझमाड़ में है जिसका शाब्दिक अर्थ है ''अनजाने पहाड़''। यह एक पहाड़ी और जंगली इलाका है जहां तमाम जनजातियां रहती हैं। यहां की आबादी बहुत कम है। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक देश में औसत आबादी घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है लेकिन इस इलाके में यह आंकड़ा केवल 10 है। इसके अलावा यह ऐसा इलाका है जहां मलेरिया एक आम रोग है। चूंकि यह माओवादियों का कथित मुक्त क्षेत्र भी है, लिहाजा इस जंगल के भीतर खबरें जुटाने के लिए जाना बहुत दुर्गम है।

सरकार की प्रतिक्रिया

तथ्यान्वेषी दल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य के सभी शीर्ष नौकरशाह भी मौजूद थे। एडिटर्स गिल्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य रुचिर गर्ग और एक स्थानीय दैनिक के संपादक सुनील कुमार भी बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अधिकतर घटनाओं की जानकारी है और वे इसके बारे में चिंतित हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया के पक्ष में है। उन्होंने तथ्यान्वेषी दल से कहा कि पत्रकार संतोष यादव की गिरफ्तारी के बाद हुए विवाद के चलते उन्होंने शीर्ष अधिकारियों और कुछ संपादकों की एक बैठक बुलाई थी और एक निगरानी समिति का गठन किया था जिससे मीडिया और पत्रकारों से संबंधित किसी भी मामले में परामर्श किया जाएगा।

पत्रकारों के फोन टैप किए जाने और जासूसी के आरोपों पर प्रधान सचिव (गृह) ने टीम को आश्वस्त किया कि निगरानी रखने को मंजूरी देने का अधिकार उन्हीं के पास है और वे दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी पत्रकार की जासूसी नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने माना कि धारणा का फर्क है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धारणा को दुरुस्त करे। बैठक में बस्तर के आइजी एसआरपी कल्लूरी का प्रेस के प्रति रवैया भी चर्चा के दौरान उठा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिर्फ एक अधिकारी के व्यवहार के चलते माओवादी इलाकों में सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे काम पर दाग नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस से बात करने के लिए कोई ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जान चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रधान सचिव (गृह) को जगदलपुर जाकर मीडिया से संवाद करना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने टीम को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है और वे निजी स्तर पर वे सारे अनिवार्य कदम उठाएंगे जो मीडिया को किसी भी किस्म के भय से मुक्त किए जाने के लिए जरूरी हैं।

सामाजिक एकता मंच

यह जगदलपुर का एक अनौपचारिक लेकिन विवादास्पद संगठन है। प्रशासन इसे नागरिकों का मंच बताता है और दावा करता है कि सभी किस्म के लोग इस संगठन के सदस्य हैं। जगदलपुर के कलक्टर अमित कटारिया ने बताया कि कई धार्मिक संगठन भी इसका हिस्सा हैं और वे

माओवादियों के विरोधी हैं। कई पत्रकार इस मंच को सलवा जुडुम का शहरी अवतार बताते हैं। वे हालांकि उसका खुलकर विरोध नहीं करना चाहते। पत्रकारों ने ऑफ दि रिकॉर्ड बताया कि यह मंच पुलिस द्वारा प्रायोजित है और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर काम करता है।

टीम ने इस मंच के एक संयोजक सुब्बाराव से मुलाकात कर के यह जानने की कोशिश की कि सामाजिक एकता मंच काम कैसे करता है।

उन्होंने अपना परिचय दो अखबारों के संपादक के रूप में कराया। एक अखबार सवेरे निकलता है और दूसरा शाम को छपता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मुख्य पेशा पत्रकारिता है, तो सुब्बाराव ने खुलकर बताया कि वे दरअसल एक सिविल ठेकेदार हैं और कुछ सरकारी ठेकों पर काम कर रहे हैं। टीम ने जगदलपुर में दर्जन भर से ज्यादा पत्रकारों से मुलाकात की, लेकिन सुब्बाराव अकेले (तथाकथित) पत्रकार थे जिन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रशासन की ओर से कभी कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने संतोष यादव और सोमारू नाग को माओवादियों का खबरी बताया। उन्होंने कहा कि मालिनी सुब्रमण्यम एकपक्षीय खबरें लिखती हैं। उन्होंने कहा, ''मालिनी माओवादियों की प्रशंसा कर रही थीं और पुलिस को शोषक की तरह दिखा रही थीं।'' उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मालिनी के अवास पर हमले के पीछे सामाजिक एकता मंच का हाथ था।

केस और निष्कर्ष
संतोष यादव/सोमारू नाग

संतोष को पुलिस ने 29 सितंबर, 2015 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन पर माओवादियों के कूरियर होने और उनसे पैसे लेने का आरोप लगाया।

सरकारी अफसरों का दावा था कि संतोष यादव पत्रकार नहीं है और वे नहीं जानते कि वह किस अखबार के लिए काम कर रहा था। टीम ने जगदलपुर के केंद्रीय कारागार में संतोष यादव से मुलाकात की और उनके मामले पर बात की। उन्होंने दावा किया कि वे कम से कम दो अखबारों नवभारत और छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे थे (दोनों अखबारों के संपादकों ने इस बात की पुष्टि की कि संतोष यादव उनके लिए काम करता था और वे अपने अखबार का पत्रकार उन्हें मानते हैं)।

संतोष ने माना कि उनके पास माओवादी नेताओं के फोन आते थे लेकिन ऐसा केवल खबरों के सिलसिले में था और उन्होंने कोई भी सूचना उन्हें नहीं पहुंचायी। उन्होंने यह भी माना कि वे

दरभा और जगदलपुर के बीच कभी-कभार पैकेट पहुंचाते थे। कभी वह अखबारों और पत्रिकाओं का बंडल होता तो कभी कुछ दूसरे कागजात होते जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संघर्ष-क्षेत्र के सुदूर इलाके में रहने वाला कोई भी व्यक्ति माओवादियों को इनकार नहीं कर सकता कि वह उनका कागज का बंडल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा। इनकार करना जान को खतरा पहुंचाने के समान होगा।

देशबंधु अखबार समूह के मुख्य संपादक ललित सुरजन ने टीम के साथ परिचर्चा के दौरान कहा, ''संतोष यादव और बस्तर के सुदूर इलाके में काम करने वाले तमाम पत्रकारों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि वे अपने पेशे के सिलसिले में माओवादियों से बात करते रहे हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है।'' उनका कहना था कि इन सुदूर इलाकों के पत्रकार अपने पेशे के सिलसिले में पुलिस से भी बात करते हैं जिसके चलते माओवादियों के गुस्से का शिकार बन जाते हैं। संतोष यादव ने टीम को बताया कि एक आला पुलिस अधिकारी ने उन्हें इलाके में माओवादियों की आवाजाही से जुड़ी सूचना पुलिस को देने के नाम पर कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि अखबारों में कुछ खबरें प्रकाशित होने के बाद उन्हें स्थानीय थाने पर बुलाया गया और तीन दिनों तक प्रताड़ित किया गया।

सोमारू नाग को भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। वे एक अखबार के एजेंट थे और उसके लिए खबरें जुटाते थे, लेकिन अखबार ने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया है। दनके ऊपर भी वही आरोप हैं जो संतोष पर हैं।

मालिनी सुब्रमण्यम

मालिनी स्क्रोल डॉट इन नामक वेबसाइट के लिए लिखती हैं। वे जगदलपुर में रहकर वेबसाइट को खबरें भेजती थीं। उन्हें स्क्रोल के लिए काम करते साल भर हो रहा है। इससे पहले वे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (आइसीआरसी) की प्रमुख थीं। पहले उन्हें कुछ लोगों के एक समूह ने धमकाया, फिर 8 फरवरी 2016 को तड़के उनके आवास पर हमला हुआ। इसके बाद उन्हें जगदलपुर का यह किराये का मकान छोड़ने के लिए बाध्य किया गया।

टीम जब जगदलपुर में थी तो वे उस वक्त हैदराबाद में थीं। टीम ने फोन पर ही उनसे बात की।

स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जगदलपुर से कोई स्क्रोल के लिए लिख रहा है। जगदलपुर के कलक्टर ने इस बारे में कहा, ''वह तो मुख्यधारा का मीडिया भी नहीं है।'' स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि इस विवाद के सामने आने से पहले

खुद उन्हें नहीं पता था कि मालिनी स्क्रोल के लिए लिखती हैं। मालिनी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी सरकार के जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार के बतौर अपना पंजीकरण करवाने की परवाह नहीं की क्योंकि वे दैनंदिन घटनाओं को कवर नहीं करती थीं।

सरकारी अफसर मानते हैं कि वे मालिनी के लिखे से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका लेखन ''हमेशा एकतरफा होता है और माओवादियों से सहानुभूति रखने वाला होता है''। कलक्टर अमित कटारिया ने टीम को बताया, ''यहां तक कि प्रेस कान्फ्रेंस में उनके पूछे सवाल भी माओवादी समर्थक हुआ करते थे।'' मालिनी ने तथ्यान्वेषी टीम के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में इसका खंडन किया और कहा, ''अपनी सीमाओं के बावजूद मैं सुदूर इलाकों में दौरे करती रही हूं और स्थानीय लोगों से मिलकर उनके बारे में लिखती रही हूं। पुलिस नहीं चाहती कि कोई पत्रकार ऐसा करे। वे चाहते हैं कि पत्रकार उनकी कही बात लिखें या फिर उनकी प्रेस विज्ञप्ति को छाप दें।'' (मालिनी ने टीम को बताया कि वे कुछ आदिवासियों से बात करने की कोशिश कर रही थीं, उस वक्त पुलिस ने आपत्ति की और कुछ लोगों को उठाकर पुलिस ले गई। पहले पुलिस ने उन लोगों को बताया कि क्या कहना है, उसके बाद उन्हें बात करने की अनुमति दी)।

मालिनी ने कहा कि उनके लिखे पर आपत्ति नवगठित संगठन ''सामाजिक एकता मंच'' को थी। उन्हें शक है कि इस संगठन को स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त है और यह संगठन नियमित रूप से पुलिस के निर्देशों पर काम करता है। उन्होंने टीम को बताया कि दिन के वक्त कुछ दर्जन लोग उनके घर के सामने इकट्ठा हुए और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। अगली सुबह उनके घर पर हमला हुआ।

तथ्यान्वेषी दल ने कई सरकारी अधिकारियों से पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रोल की रिपोर्ट का कोई खंडन जारी किया है, सबने नहीं में जवाब दिया।

मालिनी ने कहा कि स्थानीय पुलिस लगातार असहिष्णु होती जा रही है और वह नहीं चाहती कि बस्तर में असहमति का कोई स्वर बचा रहे।

आलोक पुतुल

आलोक छत्तीसगढ़ से बीबीसी हिंदी के लिए लिखते हैं। वे खबर करने के लिए बस्तर गए थे और बस्तर के आइजी एसआरपी कल्लूरी व पुलिस अधीक्षक नारायण दास से मिलने की कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद उन्हें आइजी की ओर से यह संदेश मिला, ''आपकी रिपोर्टिंग बहुत एकतरफा और पूर्वाग्रहग्रस्त होती है। आप जैसे पत्रकारों पर अपना समय खर्च करने का

कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ मीडिया और प्रेस का एक राष्ट्रवादी और देशभक्त तबका खड़ा है और वह मेरा समर्थन भी करता है। बेहतर है कि मैं उन्हें वक्त दूं। शुक्रिया।''

पुलिस अधीक्षक ने भी ऐसा ही संदेश भेजा, ''हाय (अंग्रेज़ी में अभिवादन) आलोक, मुझे देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। मेरे पास आप जैसे पत्रकारों के लिए वक्त नहीं है जो एकतरफा तरीके से खबरें लिखते हैं। मेरा इंतजार मत करना।''

टीम के सामने दर्ज कराए अपने बयान में आलोक पुतुल ने बताया कि वे नक्सलियों के आत्मसमर्पण और कानून व्यवस्था के बारे में खबर करने गए थे और इसी सिलसिले में उन्हें पुलिस अधिकारियों के बयान लेने थे, लेकिन उनकी ओर से ऐसा संदेश अप्रत्याशित था।

आलोक बताते हैं, ''यह संदेश तो केवल शुरुआत भर थी। इसके बाद मेरा जानने वाला एक स्थानीय व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे इलाका छोड़कर चले जाने की सलाह दी क्योंकि कुछ लोग मेरी तलाश कर रहे थे। शुरुआत में मैं इसे हलके में ले रहा था इसलिए दूसरे इलाके में दौरे पर चला गया, लेकिन वहां भी एक व्यक्ति मेरे पास यही बात बताने आया। उसके बाद मेरे पास तुरंत इलाका छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।''

आलोक ने टीम को बताया, ''सबसे पहले मैंने दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर और रायपुर के कुछ पत्रकारों को इसकी सूचना दी, उसके बाद रायपुर लौट आया।''

इस बारे में टीम द्वारा सवाल किए जाने पर जगदलपुर के कलक्टर अमित कटारिया ने हंसते हुए कहा, ''आलोक पुतुल और आइजी के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, और कुछ नहीं।''

कई बार संदेश भेजने और फोन करने पर भी टीम को आइजी एसआरपी कल्लूरी से मिलने का मौका नहीं मिला। टीम जब दिल्ली से निकलने को थी, तब उन्होंने मुलाकात का वक्त देने का आश्वासन दिया था लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया।

निष्कर्ष

1. संतोष यादव पत्रकार हैं और वे रायपुर के कम से कम दो अखबारों के लिए लिखते थे। दोनों अखबारों ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए सरकार का यह दावा के वे पत्रकार नहीं हैं, निराधार है।

2. अधिकारियों का दावा है कि उनके पास यादव के माओवादियों से संपर्क को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों को कहां पेश किया जाए, यह फैसला तो अदालत को करना है

लेकिन रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों को लगता है कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं और उन्हें संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

3. अधिकारियों के दर्ज कराए बयानात से साफ है कि प्रशासन मालिनी सुब्रमण्यम की स्क्रोल पर लिखी खबरों को लेकर असहज था। खबर के अपने पक्ष को सार्वजनिक करने के बजाय कथित नागरिक समूह ''सामाजिक एकता मंच'' को मालिनी के घर पर हमले के लिए भड़काया गया और उन्हें न केवल शहर बल्कि राज्य छोड़कर जाने को मजबूर किया गया।

4. आलोक पुतुल बीबीसी के लिए कानून व्यवस्था पर खबर करने बस्तर गए हुए थे। उनसे मिलने या बात करने के बजाय बस्तर के दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने उन्हें संदेश भेजते हुए उनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि कुछ लोग उन्हें खोज रहे थे, लिहाजा खुद को बचाने के लिए उन्हें इलाका छोड़ना पड़ा। टीम से मिलने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं था। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को खतरे की बात का खंडन करते हुए इसे ''कम्युनिकेशन गैप'' करार दिया।

5. बस्तर में भय का माहौल है। बस्तर में काम कर रहे हर पत्रकार को लग रहा है कि वह सुरक्षित नहीं है। एक तरफ उन्हें माओवादियों से निपटना पड़ता है जो मीडिया में आ रही रिपोर्टों के प्रति ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस है जो चाहती है कि मीडिया उसी के हिसाब से खबर लिखे।

6. जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन कहते हैं, ''यदि आप किसी चीज का स्वतंत्र विश्लेषण करने की मंशा रखते हैं, तो आपके बारे में फैसला सुना दिया जाएगा कि आप सरकार के साथ हैं या माओवादियों के साथ। पत्रकारिता के लिए लोकतांत्रिक स्पेस संकुचित हो रही है।''

7. छत्तीसगढ़ की सरकार में एक आम धारणा यह है कि राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा तबका माओवादी समर्थक है। एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें सरकार का करीबी माना जाता है, उन्होंने यह बात कही।

8. अखबार और अन्य मीडिया प्रतिष्ठान सुदूर इलाकों में स्ट्रिंगरों की भर्ती बिना किसी औपचारिकता के कर रहे हैं। ये पत्रकार खबरें जुटाते हैं, विज्ञापन जुटाते हैं और अखबारों का वितरण भी करते हैं। आम तौर से ये पत्रकार विज्ञापन से मिलने वाले कमीशन या किसी और धंधे से होने वाली आय पर आश्रित रहते हैं। ऐसे स्ट्रिंगरों पर अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट की सिफारिश की जाती है।

9. जिला मुख्यालय से बाहर काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। इसीलिए जब पहचान का सवाल उठता है तो सरकार आसानी से किसी के बारे में कह देती है कि वह पत्रकार नहीं है। मीडिया प्रतिष्ठान भी उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि एक सीमा के बाद वे उसकी जवाबदेही नहीं ले पाते।

10. राज्य सरकार चाहती है कि माओवादियों के साथ सरकार की लड़ाई को मीडिया राष्ट्र के लिए की जा रही लड़ाई के रूप में देखे, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले की तरह बरते और इस बारे में कोई सवाल न खड़ा करे।

11. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को बेहतर समन्वय और सहयोग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के तुरंत बाद एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया! इससे पता लगता है कि नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

12. टीम का विचार है कि अखबारों को स्ट्रिंगरों की भर्ती पूरी सतर्कता के साथ करनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।